फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– **उपखण्ड अधिकारी मुकामः– नसीराबाद**

इस्माईल बनाम हुसैन

किस्म मुकदमा :– 88 A.T.A., 136 L.R.A. प्रकरण संख्या 58 सन् :– 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.4.18	अधिवक्ता वादी ने उक्त वादपत्र पेश किया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र के साथ सलंग्न धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियकें नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 18.6.18 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद न्याय आपके द्वार अभियान - 2018 लोक अदालत	
18.6.18	पत्रावली पेश की। वादी इस्माईल ने पेश होकर प्रतिवादी गण ने जवाब पेश कर वाद के तथ्यों को स्वीकार किया। [illegible] पेश किया जो शामिल है। उभयपक्ष वाद में कोई विवाद शेष नहीं रहा, इसी आधार पर निस्तारण चाहते हैं। निर्णय पृथक से [illegible] है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature] पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट [illegible]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– वीरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 58 / 2018
कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत – रामसर

उनवान

1. इस्माईल पुत्र कमाल जाति मुसलमान निवासी रामसर
2. सलामुद्दीन पुत्र रमजानी जाति मुसलमान निवासी ग्राम उटडा
3. इमरान पुत्र रमजानी जाति मुसलमान निवासी उटडा

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री फारूख खत्री

बनाम

1. हुसैन मौहम्मद पुत्र कमाल
2. श्रीमति मजीदन पत्नी रमजानी
3. श्रीमति हमीदा बानो पत्नी छोटू
4. सिराज पुत्र छोटू
5. महबूब पुत्र छोटू जाति मुसलमान निवासी रामसर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :–

वाद पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 88, राज0 काश्त0 अधि0 1955 एवं धारा 136 रा0 भू0 रा0अधि0 1956

–: निर्णय :–

दिनांक :–18.6.18

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के खसरा नम्बर 8255, 8257, 8767, 8952, 8969 रकबा 0.50, 0.55, 0.88, 0.77, 0.80 कुल किंता 5 कुल रकबा 3.50 वादी एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी भूमि है। उक्त आराजियात वादीगण को विरासत से प्राप्त हुई है। किन्तु अधिकार अभिलेख में वादीगण का नाम ईस्माईल के नाम के स्थान पर ईसलामुद्दीन व इमरान के स्थान पर कालू तथा सलामुद्दीन के स्थान पर सलाउद्दीन दर्ज हो गया है। हाल जमाबंदी में ईस्लामुद्दीन दर्ज कर दिया जबकि ईस्माईल होना था व सलाउद्दीन की जगह सलामुद्दीन होना चाहिए था तथा कालू की जगह ईमरान दर्ज होना चाहिए था । वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी की पुश्तैनी भूमि है। अतः वादग्रस्त आराजी पर वादी को खातेदार दर्ज किया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण वादी को उनके हक हिस्से की भूमि से महरूम नहीं करें तथा ना ही कब्जा काश्त में दखल करें एवं अन्यत्र हस्तांतरण नहीं करें। अतः प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

पत्रावली कैम्प कोर्ट रामसर में पेश हुई। प्रतिवादीगण कैम्प कोर्ट में उपस्थित हुए व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद में वादीगणों

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत /कैम्प कोर्ट

नाम राजस्व रेकॉर्ड में सही इन्द्राज कराने पर कोई आपत्ती व ऐतराज प्रकट नहीं किया है। राज0 पैरोकार ने वाद का खण्डन नहीं किया है।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 8255, 8257, 8767, 8952, 8969 रकबा 0.50, 0.55, 0.88, 0.77, 0.80 में वादी का नाम ईस्माईल के नाम के स्थान पर ईस्लामुद्दीन व इमरान के स्थान पर कालू तथा सलामुद्दीन के स्थान पर सलाउद्दीन अंकन अंकित है।

वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 8255, 8257, 8767, 8952, 8969 रकबा 0.50, 0.55, 0.88, 0.77, 0.80 में वादी का नाम ईस्लामुद्दीन के नाम के स्थान पर ईस्माईल, कालू के स्थान पर इमरान, सलाउद्दीन के स्थान पर सलामुद्दीन किये जाने से उभयपक्ष के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। वाद में प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों में भी वादीगण का सही नाम अंकित है। मजमें आम में की गयी जानकारी से भी वादीगण के तथ्यों की पुष्टि होती है।

अतः ग्राम रामसर के खसरा नम्बर 8255, 8257, 8767, 8952, 8969 रकबा 0.50, 0.55, 0.88, 0.77, 0.80 कुल किंता 5 कुल रकबा 3.50 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 8255, 8257, 8767, 8952, 8969 रकबा 0.50, 0.55, 0.88, 0.77, 0.80 में वादी का नाम ईस्लामुद्दीन के नाम के स्थान पर ईस्माईल, कालू के स्थान पर इमरान, सलाउद्दीन के स्थान पर सलामुद्दीन अंकित करें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.6.18 को सरे इजलास सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत कैम्प कोर्ट
नसीराबाद

न्याय आपके द्वार 2018
डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

इस्माईल बनाम हुसैन

दावा बाबत :– 88, रा.का.अधि 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर –58 / 18
पेश करने की दिनांक – 26.4.18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री वीरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक फारूख खत्री मुददई स्वयं मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम रामसर के खसरा नम्बर 8255, 8257, 8767, 8952, 8969 रकबा 0.50, 0.55, 0.88, 0.77, 0.80 कुल किंता 5 कुल रकबा 3.50 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 8255, 8257, 8767, 8952, 8969 रकबा 0.50, 0.55, 0.88, 0.77, 0.80 में वादी का नाम ईस्लामुद्दीन के नाम के स्थान पर ईस्माईल, कालू के स्थान पर इमरान, सलाउद्दीन के स्थान पर सलामुद्दीन अंकित करें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— / —— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 18 माह 06 सन् **2018** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद